

हरियाणा सरकार

उद्योग तथा वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 23 जुलाई, 2015

संख्या 20/01/2014-3आई0बी0- I.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग क्षेत्रीय संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2014, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग क्षेत्रीय संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2015, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग क्षेत्रीय संवर्ग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2014 में, परिशिष्ट ख में, खाना 1, 2, 3 तथा 4 के नीचे, —
- (i) “क जिला उद्योग क्षेत्र” शीर्ष के नीचे, खाना 1, 2, 3 तथा 4 क्रम संख्या 8 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4
“8	चालक	(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।	पदोन्नति द्वारा :— (i) मैट्रिक; (ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (vi) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए; स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा :— (i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हल्का परिवहन वाहन चालन का तीन वर्ष का अनुभव; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।”;

- (ii) “ख राजकीय गुणांकन केन्द्र/उष्मा उपचार केन्द्र तथा औद्योगिक विकास केन्द्र के तकनीकी पद” शीर्ष के नीचे, खाना 1, 2, 3 तथा 4 क्रम संख्या 11 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

1	2	3	4
“11	चालक	(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा	पदोन्नति द्वारा :— (i) मैट्रिक; (ii) ग्रुप घ कर्मचारी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव; (iii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iv) विभाग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (v) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए;

		<p>(iv) पास होनी चाहिए; वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।</p>	<p>(vi) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (vii) पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए;</p> <p>स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा :-</p> <p>(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हल्का परिवहन वाहन चालन का तीन वर्ष का अनुभव; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।"; तथा</p>
--	--	--	--

(iii) "ग बायलर निरीक्षकालय" शीर्ष के नीचे, खाना 1, 2, 3, तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1	2	3	4
"4"	चालक	<p>(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित चालन परीक्षा पास होनी चाहिए; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत।</p>	<p>स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा :-</p> <p>(i) मैट्रिक; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी वैध हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हल्का परिवहन वाहन चालन का तीन वर्ष का अनुभव; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए; (v) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत; (vi) यदि चालक के पद पर पहले से कार्यरत नहीं है, तो पचास वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए।" ।</p>

देवेन्द्र सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
उद्योग तथा वाणिज्य विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT

Notification

The 23rd July, 2015

No. 20/01/2014-3IB-I .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Industries and Commerce, Field Cadre (Group C) Service Rules, 2014 namely:-

1. These rules may be called the Haryana Industries and Commerce Field Cadre (Group C) Service (Amendment) Rules, 2015.
2. In the Haryana Industries and Commerce Field Cadre (Group C) Service Rules, 2014, in Appendix B,-
 - (i) under heading “District Industries Centre”, under columns 1,2,3 and 4, for serial number 8 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“8	Driver	(i) Matric; (ii) should have a light transport vehicle valid driving licence at least three years old; (iii) should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;	By promotion (i) Matric; (ii) three years experience as Group D employee; (iii) should have a light transport vehicle valid driving licence at least three years old; (iv) should have passed the driving test conducted by the department; (v) should not be colour blind; (vi) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (vii) should not be more than fifty years of age; By transfer/deputation:- (i) Matric; (ii) should have a light transport vehicle valid driving licence at least three years old; (iii) three years experience of driving light transport vehicle; (iv) should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education; (vi) if not already working on the post of driver then should not be more than fifty years of age.”
----	--------	---	--

- (ii) under heading “(B) Quality Marking Centre, Heat Treatment Centre and Industrial Development Centre”, under columns 1,2,3 and 4, for serial number 11 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“11	Driver	(i) Matric; (ii) should have a light transport vehicle valid driving licence at least three years old; (iii) should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) should not be colour blind; (v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;	By promotion (i) Matric; (ii) three years experience as Group D employee; (iii) should have a light transport vehicle valid driving licence at least three years old; (iv) should have passed the driving test conducted by the department; (v) should not be colour blind; (vi) Hindi/Sanskrit upto Matric standard
-----	--------	---	---

			<p>or higher education;</p> <p>(vii) should not be more than fifty years of age;</p> <p>By transfer/deputation:-</p> <p>(i) Matric;</p> <p>(ii) should have a light transport vehicle valid driving licence at least three years old;</p> <p>(iii) three years experience of driving light transport vehicle;</p> <p>(iv) should not be colour blind;</p> <p>(v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;</p> <p>(vi) if not already working on the post of driver then should not be more than fifty years of age.”</p>
--	--	--	---

- (iii) under heading “(C) Boiler Inspectorate”, under columns 1,2,3 and 4, for serial number 4 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“4	Driver	<p>(i) Matric;</p> <p>(ii) Should have a light transport vehicle valid driving licence at least three years old;</p> <p>(iii) should have passed the driving test conducted by the Haryana Staff Selection Commission;</p> <p>(iv) should not be colour blind;</p> <p>(v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;</p>	<p>By transfer/deputation:-</p> <p>(i) Matric;</p> <p>(ii) should have a light transport vehicle valid driving Licence at least three years old;</p> <p>(iii) three years experience of driving light transport vehicle;</p> <p>(iv) should not be colour blind;</p> <p>(v) Hindi/Sanskrit upto Matric standard or higher education;</p> <p>(vi) if not already working on the post of driver then should not be more than fifty years of age.”</p>
----	--------	--	--

DEVENDER SINGH,
Principal Secretary to Government of Haryana,
Industries & Commerce Department.